UPGZ010030902026

न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट सं० 4 गाजियाबाद।

उपस्थितः शिव कुमार तिवारी, उच्चतर न्यायिक सेवा

J.O.Code No. UP01646

जमानत प्रार्थनापत्र संख्या–507/2026

कम्प्यूटर रजिस्ट्रेशन सं०–1383/2026

गोलू मदारी पुत्र वहीद निवासी चांदमारी झुग्गी झोपड़ी, थाना विजयनगर, जिला गाजियाबाद।

. .....अभियुक्त।

बनाम

राज्य उत्तर प्रदेश .....अभियोजन।

मु०अ०सं०–983/2018,
धारा–3/25/27 आर्म्स एक्ट।
थाना–विजयनगर जिला–गाजियाबाद।

24.03.2026

1– प्रस्तुत जमानत प्रार्थनापत्र प्रार्थी/अभियुक्त गोलू मदारी की ओर से उपरोक्त मामले में जमानत हेतु प्रस्तुत किया गया है।

2– प्रार्थी/अभियुक्त के पैरोकार श्रीमती नूरजहां पत्नी वहीद द्वारा इस आशय का शपथपत्र दिया गया है कि इसके अलावा उसका कोई अन्य जमानत प्रार्थनापत्र माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद अथवा किसी अन्य न्यायालय में विचाराधीन नहीं है।

3– आवेदक/अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत किये गये जमानत प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि उक्त मुकदमे में प्रार्थी जमानत पर है। दिनांक 22.12.2022 को थाना वेवसिटी गाजियाबाद की पुलिस प्रार्थी को घर से उठाकर ले गयी व फर्जी मुठभेड़ का मुकदमा लगाकर प्रार्थी को जेल भेज दिया। प्रार्थी दिनांक 22.12.2022 से लेकर आज तक उक्त मु०अ०सं०– 29/2022 अं० धारा 307 आई०पी०सी० व 25 आर्म्स एक्ट में जेल में है। प्रार्थी/अभियुक्त जेल से तलब ना होने के कारण उपरोक्त मुकदमे में न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं हो सका। प्रार्थी/अभियुक्त ने न्यायालय के समक्ष हाजिर में कोई लापरवाही व गलती नही की है। उक्त मुकदमे में गैर जमानती वारंट प्रार्थी/अभियुक्त के न्यायिक अभिरक्षा में रहते हुए जारी हुए है।

4– अभियोजन कथानक संक्षेप में इस प्रकार है कि फर्द बरामदगी दिनांकित 06.07.2018 के अनुसार थाना हाजा से बहवाले रपट नंबर 32 समय 11.42 बजे अभियुक्त गोलू उर्फ मदारी ने आगे–आगे चलकर बबूल के पेड़ एवं बिजली के पोल के मध्य से मिट्टी हटाकर एक पिन्नी में लिपटे हुए एक तमंचे को 12.20 बजे निकालकर एस.एच.ओ. को दिया और बताया कि यह वहीं तमंचा है जिससे मैंने दिनांक 19.06.2018 को सम्राज चौक के पास ए ब्लॉक इन्दिरा पार्क में हर्ष चौहान को फायर करके घायल कर दिया था।

5– विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी द्वारा जमानत का विरोध करते हुए जमानत प्रार्थनापत्र को निरस्त किये जाने की प्रार्थना की गयी।

6– जमानत प्रार्थना–पत्र पर प्रार्थी/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता एवं अभियोजन की ओर से विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) को सुना एवं समस्त प्रपत्रों का अवलोकन किया।

7– अभियुक्त वारण्ट के निष्पादन में दिनांक 02.11.2023 से जेल में निरूद्ध है। अभियुक्त पूर्व में न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायालय कोर्ट संख्या–9 के आदेश दिनांकित 26.02.2019 से जमानत पर

था।

8– अतः उपरोक्त समस्त तथ्यों, परिस्थितियों एवं अपराध की प्रकृति को दृष्टिगत रखते हुए बिना गुणदोष पर कोई अभिमत व्यक्त किये आवेदक/अभियुक्त को जमानत पर अवमुक्त किये जाने का पर्याप्त आधार है। तदनुसार आवेदक/अभियुक्त का जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकार होने योग्य है।

आदेश

9– प्रार्थी/अभियुक्त गोलू मदारी की ओर से उपरोक्त अपराध में प्रस्तुत जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाता है। प्रार्थी/ अभियुक्त को उसके द्वारा 50,000/– रूपये का व्यक्तिगत बंधपत्र एवं समान धनराशि के दो प्रतिभूगण इस न्यायालय की सन्तुष्टि के अनुरूप दाखिल करने पर जमानत पर अवमुक्त किया जाए।

दिनांक 24.03.2026

(शिव कुमार तिवारी)
J.O.Code No. UP01646
अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट सं० 4
गाजियाबाद।

Digitally signed by SHIV KUMAR TIWARI
Date: 2026.03.24 17:02:14 UTC
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court